सत्यमेव जयते

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

(एमपीईडीए नियम, 1972 का नियम 34(3))

प्रपत्र VI (ए)

पूर्व–प्रसंस्करण केंद्र का पंजीकरण प्रमाणपत्र

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

(Rule 34(3) of MPEDA Rules, 1972)

FORM VI (a)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRE-PROCESSING CENTRE

1.	पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख Number and Date of Certificate of Registration	: **1423/PS/BY/98** 15/06/1998
2.	वैधता / Valid upto	: **12/12/2028**
3.	श्रेणी / Category	: Integrated
4.	पूर्व –प्रसंस्करण केंद्र का नाम और पता Name and Address of the pre-processing centre	: **SONIA MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED** M-40, MIDC, Taloja , Taluka-Panvel, District - Raigad Raigad District District: RAIGAD State: MAHARASHTRA
5.	पूर्व –प्रसंस्करण क्षेत्र / Pre-processing Area	: 168 M^2
6.	पूर्व प्रसंस्करण के लिए अनुमति प्राप्त उत्पाद Product permitted for pre processing	: Marine Products
7.	पूर्व प्रसंस्करण क्षमता (मि.टन) प्रति शिफ्ट (8 घंटे) Pre processing capacity (MT) per shift (8 hr)	: 20 MT

Digitally signed by SUBRAY PAVAR
DN: c=IN, o=PERSONAL, pseudonym=341779b705a44c139f9411ec4476af0f, 2.5.4.20=b85428c2257f0aa80de05f5e6a677a9842d59a11ea59657aac1630a8bd0df50f6, postalCode=586128, st=Karnataka, serialNumber=a9b3ce75a3eeee09acd87172f4e7999b84dc2794fa7b35bd1fdd7aed5be543ee, cn=SUBRAY PAVAR
Date: 2025.12.15 19:20:25 +05'30'

(डिजिटल हस्ताक्षर /Digital Signature)
SUBRAY PAVAR
Assistant Director (QC)

स्थान / Place: Regional Division Mumbai
दिनांक / Date: 15/12/2025

(प्राधिकरण की मुहर)

यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए अधिनियम और नियम 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम 1963 और उसके बाद के नियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के प्रावधानों के अधीन जारी किया जाता है।

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions prescribed by the Authority from time to time.

मुख्यालय,एमपीईडीए हाउस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची-682 036 / Head Office: MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi 682 036
ईमेल/Email: ho@mpeda.gov.in फ़ोन/Phone: 91-484-2311901/2311803

पूर्व –प्रसंस्करण केंद्र के पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें

CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRE-PROCESSING CENTRE

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र एमपीईडीए नियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन दिया जाता है।
The certificate of registration is granted subject to the provisions of the MPEDA Rules, 1972.

2. एमपीईडीए की लिखित अनुमोदन के बिना नक्शा, डिजाइन, क्षमता आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
No change in the layout, design, capacity etc. should be done without the prior written approval of MPEDA.

3. यह प्रमाणपत्र पूर्व–प्रसंस्करण केंद्र में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
This certificate should be prominently displayed in the Pre-processing Centre.

4 .पंजीकरण प्रमाणपत्र के धारक को एक दैनिक लेखा रजिस्टर रखनी होगी। उसमें प्राप्त कच्चे माल, छीले गये माल और वितरित माल की मात्रा दर्शायी जाए, जिसे यह जारी किया गया है। यह रजिस्टर एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा मांगने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
The holder of the registration certificate should maintain a day-today account in a register showing the quantity of raw materials received, the quantity peeled and quantity issued indicating the party to whom it is issued. This register must be available for inspection by officers of the MPEDA and produced on demand.

5 पूर्व–प्रसंस्करण केंद्र केवल अपने शेड में छीली गई या पूर्व-प्रसंस्कृत श्रिम्प के सभी परेषणों के लिए एक सुपुर्दगी नोट जारी करें । इस नोट में प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख को दर्शाया जाए । किसी अन्य पूर्व- प्रसंस्कृत सामग्री को इन सुपुर्दगी पर्चियों में शामिल करने पर यह समझा जाएगा कि इस शर्त का उल्लंघन किया गया है और इस आधार पर प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा ।
Pre-processing centre should issue a delivery note for all consignments of shrimp peeled or pre-processed in their shed only, indicating the number and date of the certificate. Inclusion of material pre-processed elsewhere in such delivery slips, will be a violation of this condition and will entail cancellation of the certificate

6 इसके अतिरिक्त एमपीईडीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना मालिक के लिए अनिवार्य होगा।
In addition, it shall be incumbent on the part of the owner to comply with instructions issued by MPEDA from time to time.

7 मालिक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को परिसर में दौरा और निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी ।
The owner shall permit officials authorized by competent authority to visit and inspect the premises.

8 प्रतिष्ठान के स्वामित्व में किए किसी भी परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन से 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित करना होगा ।
Any change in the ownership of the establishment shall be endorsed in the certificatewithin 30 days from such change.

9 मालिक को पंजीकरण के इस प्रमाणपत्र को हर तीन साल में एक बार पुनर्वैधीकरण करवाना होगा।
The owner should get this certificate of registration revalidated every three years.